

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 66 वीं वार्षिक महासभा “स्टेट बैंक सभागार”, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पाइंट, मुंबई-400 021 (महाराष्ट्र) में शुक्रवार, 25 जून, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। यह बैठक निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए वीडियो कान्फरेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुवल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी :

“भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2021 तक के तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा भारतीय स्टेट बैंक के कार्य और कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलनपत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना”।

कॉर्पोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड,
मुंबई- 400 021
दिनांक : 21 मई, 2021

(दिनेश कुमार खारा)
अध्यक्ष

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए सामान्य अनुदेश

- कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 02/2020 ("एमसीए परिपत्र") और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 और 15 जनवरी 2021 के सेबी/एचओ/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 के अनुसार वार्षिक महासभा स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निर्देशक बोर्ड द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी वार्षिक महासभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। बैठक का अनुमत स्थान बैंक के कारपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।
- बैंक के शेयरधारकों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार शेयरधारक निकाय कारपोरेट होने के कारण वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु वे (शेयरधारक) पात्र होंगे।
- इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए शेयरधारक वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना वार्षिक महासभा (एजीएम) में हिस्सा लेने की अनुमति है।
- भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।
- कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात 25 जून 2021 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा दिनांक 12 मई 2020 के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वार्षिक महासभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।
- भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, वार्षिक महासभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्त कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।
- वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं :

दूर से ई-मतदान की अवधि 21 जून 2021 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 24 जून, 2021 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया "दो चरण" की है, जो नीचे दी गई है :

चरण 1: एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

क. कागजरहित रूप में शेयर रखने आले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-मतदान एवं वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने के लिए लॉगइन पद्धति

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध की जा रही ई-मतदान प्रणाली पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार कागज रहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) एवं डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागियों के साथ खोले गए अपने डीमेट खाता के जरिए मतदान करने की अनुमति है।

कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगइन की विधि नीचे दी गई है :

शेयरधारक प्रकार	लॉगइन की विधि
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> यदि आपने NSDL IDeAS सुविधा के लिए पहले ही पंजीकरण कराया है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट को देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर यूआरएल : https://eservices.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउसर को खोले। ई-सर्विसेस का होम पेज खुलते ही, "लॉगइन" के तहत "Beneficial Owner" आईकॉन पर क्लिक करें, जो "IDeAS" के तहत उपलब्ध है। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-मतदान पेज को देख पाएंगे। कंपनी का नाम अथवा ई-मतदान सेवाप्रदाता-एनएसडीएल के आगे उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूर से ई-मतदान की अवधि अथवा वर्चुअल बैठक एवं बैठक के दौरान मतदान के समय अपना मत देने के लिए एनएसडीएल ई-मतदान वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। यदि यूजर ने IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो पंजीकरण कराने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS" पोर्टल का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/Secure Web/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट को देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउसर को खोले। ई-मतदान का होम पेज खुलते ही, "Login" आईकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरधारक/सदस्य" खंड में उपलब्ध है। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास के 16 अंकों का डीमेट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी एवं स्क्रीन पर दर्शाए गए वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) की साइट पर ले जाया जाएगा, जहां आप ई-मतदान पेज को देख सकते हैं। कंपनी का नाम अथवा ई-मतदान सेवाप्रदाता-एनएसडीएल के आगे उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूर से ई-मतदान अवधि के दौरान मत देने अथवा वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने एवं बैठक के दौरान मतदान के समय अपना मत देने के लिए एनएसडीएल ई-मतदान वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> Easi/Easiest का विकल्प चुनने वाले वर्तमान यूजर अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड के जरिए लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। Easi/Easiest पर लॉगइन करने के लिए यूजर्स के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com है और New System Myeasi पर क्लिक करें।

शेयरधारक प्रकार
लॉगइन की विधि

2. Easi/Easiest पर सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद यूजर ई-मतदान मेनु को देख पाएगा। मेनु में ई-मतदान सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल का लिंक होगा। अपना मत देने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें।
3. यदि यूजर ने Easi/Easiest के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो पंजीकरण का विकल्प <https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration> पर उपलब्ध होगा।
4. वैकल्पिक रूप से यूजर www.cdslindia.com होम पेज के लिंक पर डीमेट खाता नंबर एवं पैन देकर सीधे ई-मतदान पेज तक पहुँच सकता है। डीमेट खाता में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर सिस्टम द्वारा यूजर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद यूजर को संबद्ध ईएसपी अर्थात एनएसडीएल का लिंक उपलब्ध किया जाएगा, जहाँ पर ई-मतदान चल रहा है।

वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमेट में प्रतिभूतियाँ रखने वाले) के लिए उनके डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागियों के जरिए लॉगइन

आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागियों के जरिए अपने डीमेट खाता के लॉगइन विवरण इस्तेमाल करते हुए भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान विकल्प देख पाएंगे। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने और सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा को देख सकते हैं। कंपनी का नाम अथवा ई-मतदान सेवाप्रदाता-एनएसडीएल के आगे उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूर से ई-मतदान की अवधि में मत देने अथवा वचुवल बैठक में हिस्सा लेने एवं बैठक के दौरान मतदान के समय अपना मत देने के लिए एनएसडीएल ई-मतदान वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।

महत्वपूर्ण, ध्यान दें : जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड रिट्रीव कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID एवं Forget Password विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) अर्थात एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के जरिए लॉगइन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क से evoting@nsdl.nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर अथवा 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमेट से भिन्न रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों एवं प्रत्यक्ष रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगइन की विधि

एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर <https://www.evoting.nsdl.com/> यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही "लॉगइन" आइकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरहोल्डर्स/मेंबर्स" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। अपने एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात आईडीईएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉगइन से <https://eservices.nsdl.com> पर लॉगइन कर सकते हैं। अपने लॉगइन विवरण से एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉगइन करते ही ई- मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।
4. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं :

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागजरहित/ डीमेट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज में **आपका यूजर आईडी :**

- | | |
|---|--|
| क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमेट खाते में हैं | 8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है, तो आपका यूजर आईडी होगा IN300***12***** |
| ब) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमेट खाते में हैं | 16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12***** |

**शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/ आपका यूजर आईडी :
डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल)
अथवा कागज़ में**

- 3) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
ईवीईएन संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर
उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***
5. वैयक्तिक शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :
 - (क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।
 - (ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई- मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभ में सूचित पासवर्ड' को रिट्रीव करना होगा। 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करते ही आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
 - ग) अपने 'प्रारंभिक पासवर्ड' को कैसे रिट्रीव करें?
 - (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूँढ लें। मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के मामले में आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप में धारित शेयरों के मामले में सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का खाता नंबर अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होगा।
 - (ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें।
6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :
 - क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Physical User Reset Password?" पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)
 - ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ) सदस्य एनएसडीएसएल की ई-मतदान प्रणाली से मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) पर आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद "टर्म्स एंड कंडीशंस" का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।
8. अब आपको "लॉगइन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2 : एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दें और महासभा में हिस्सा लें।

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दें और कैसे महासभा में हिस्सा लें?

1. चरण 1, पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप उन सभी "ईवीईएन" कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एवं महासभा एक्टिव स्टेटस में है।
2. उस "ईवीईएन" कंपनी का चयन करें, जिसे आप दूर से ई-मतदान अवधि एवं महासभा के दौरान अपना मत देना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक से जुड़ने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत दिए गए लिंक "VC/OAVM" पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पेज खुल जाने पर अब आप ई-मतदान करने के लिए तैयार हैं।
4. उपर्युक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें, जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और "सबमिट" पर क्लिक करें। कहे जाने पर "कनफर्म" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि के बाद "सफलतापूर्वक मतदान किया गया" संदेश दिखाई देगा।
6. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती कि वे मतदान करने के लिए संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (कर्ताओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ दोनों संवीक्षकों को / raj.nj4227@gmail.com एवं info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।
2. आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" का चयन करना होगा।
3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव/सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकरण न करने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया :

1. शेयर कागज रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें। यदि आप डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हो तो, आपसे अनुरोध है कि कृपया चरण 1 (क) अर्थात् कागजरहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-मतदान एवं वैचुल बैठक में हिस्सा लेने हेतु लॉगइन करने की विधि को देखें और पढ़ें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य, यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल से अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध की जा रही ई-मतदान प्रणाली पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार कागजरहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) एवं डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागियों के साथ खोले गए अपने डीमेट खाता के जरिए मतदान करने की अनुमति है।

वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार है :

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. केवल वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा वर्जित न किया गया हो, महासभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे। परंतु वे वार्षिक महासभा के दिन मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से/ वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा शेयरधारक को दी जाएगी। सदस्य एनएनडीएल ई-मतदान प्रणाली तक पहुँचने के लिए ऊपर दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल रूप से लॉगइन करने के बाद आप कंपनी के नाम के आगे "Join General meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक को देख सकते हैं। आपसे "Join General meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक को क्लिक करने का अनुरोध है। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहाँ बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करना पड़े।
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।
3. इसके अलावा सदस्यों को सभा के दौरान केमरा एवं अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचा जा सके।
4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल

वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।

5. वार्षिक महासभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं। वे 25 जून 2021 को अपराह्न 3.00 बजे वार्षिक महासभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।
6. जिन शेयरधारकों ने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, को ही अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

मतदान अधिकारों का निर्धारण :- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1995 की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अधीन वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले अथवा 24.03.2021 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा।

केंद्र सरकार से भिन्न प्रत्येक शेयरधारक उपरोक्त के अनुसार मतदान करने के लिए पात्र है, जो कंपनी के बजाय व्यक्ति के रूप में उपस्थित है या प्रोक्सी के रूप में या जो कंपनी के रूप में पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है या प्रोक्सी के रूप में एक वोट हाथ उठाकर दे सकता है और मतदान होने की स्थिति में बैठक की तिथि से तीन माह की पूर्ण अवधि अर्थात् 24.03.21 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति को मतदान होने की स्थिति में बैठक की तिथि से तीन माह की पूर्ण अवधि अर्थात् 24.03.2021 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए हाथ उठाकर एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनलॉक करेगा। वार्षिक महासभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

(दिनेश कुमार खारा)
अध्यक्ष

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई
दिनांक : 21.05.2021